



2026:AHC:127255

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19753 वर्ष 2026

शोभित..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : जय किशन, विपिन कुमार

प्रतिपक्षीपक्षगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. आवेदक को बी.एन.एस., थाना-अलीगंज, जिला-एटा की धारा 108 के तहत केस अपराध संख्या-68 वर्ष 2026 में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक को दिनांक 23.03.2026 की प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है। मृतक के भाई ने मृतक के पति, सास और ससुर सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक मृतक का दोस्त था और वह मृतक से अपने मोबाइल फोन पर बात करता था। दौरान ए विवेचना आवेदक के विरुद्ध उकसाने या भड़काने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मृतक ने अपने ससुराल में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण शव परीक्षण से पहले फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना था और शव परीक्षण रिपोर्ट में गर्दन पर लिगेचर के निशान के अलावा कोई अन्य चोट नहीं पाई गई थी। विवेचनाधिकारी ने उचित जांच के बाद नामजद आरोपियों को बरी कर दिया और मृतक के पति और सास-ससुर के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 04.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक कथित घटना की तारीख को मृतक के साथ उसके कॉल डिटेल अभिलेखों और स्थान के अनुसार मौजूद था।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. आवेदक को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या समाप्त कर दिया। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। विचाराधीन अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय को पता चलता है कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।



9. आवेदक- शोभित, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्धोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप तय किए जाने और (3) धारा 313 द०प्र०सं. के अधीन बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति विचारपूर्वक या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को



जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना खुला होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ए.पी. पांडे